



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 14.04.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन व मूल आधार कार्ड बरामद।

दिनांक 14.04.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्त 1. मोहम्मद नजरूल खान पुत्र मो० इस्लाम खान नि० ए०-123, धोबीघाट किरवी प्लेस, गुरादाबाद पहाडी दक्षिण पश्चिम दिल्ली हाल निवासी झुग्गी झोपडी जैतपुर दिल्ली 2.सुलेमान पुत्र अब्दुल रजाक निवासी ग्राम मौहल्ला किसानटोला संडिला थाना कोतवाली नगर हरदोई वर्तमान निवासी झुग्गी झोपडी ऐमनाबाद थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को मय मृतक फिराज के मोबाइल फोन व मूल आधार कार्ड सहित झुग्गी झोपडी ऐमनाबाद से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-

दिनांक 02.04.2021 को शराब का सेवन करते समय अपने साथी फिरोज पुत्र मो० जीबच नदाफ निवासी ग्राम राजा खरबा थाना सकतपुर जिला दरबंगा बिहार हाल निवासी झुग्गी झोपडी रोजा जलालपुर की ईट मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु०अ०स० 146/2021 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मोहम्मद नजरूल खान पुत्र मो० इस्लाम खान नि० ए०-123, धोबीघाट किरवी प्लेस, गुरादाबाद पहाडी दक्षिण पश्चिम दिल्ली वर्तमान निवासी निवासी झुग्गी झोपडी जैतपुर दिल्ली
- 2.सुलेमान पुत्र अब्दुल रजाक निवासी ग्राम मौहल्ला किसानटोला संडिला थाना कोतवाली नगर हरदोई वर्तमान निवासी झुग्गी झोपडी ऐमनाबाद थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 146/2021 धारा 302/201 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुलेमान

- 1.मु0अ0स0 146/2021 धारा 302/201 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0स0 1118/2019 धारा 34/506 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0स0 417/2019 धारा 398/401/382/302/353/34 भादवि थाना धौलाना हापुड।
- 4.मु0अ0स0 420/2019 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना धौलाना हापुड।

बरामदगी का विवरण-

मृतक का एक मोबाइल फोन व मूल आधार कार्ड



2-थाना दादरी पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 50 पेटी जिसमे (40 पेटी देशी शराब कुल 1920 पव्वे व 08 पेटी अंग्रेजी शराब कुल 384 पव्वे व 02 पेटी अग्रेजी (कुल 24 बोतल) हरियाणा मार्का अवैध शराब कीमत लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये व एक हुंडई वरना कार बरामद।

दिनांक 14.04.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर 1. दिलशाद पुत्र जान मौहम्मद निवासी म0न0 806 सी ब्लाक संजय कालौनी फरीदाबाद हरियाणा 2. भरतपाल पुत्र स्व0 जमुनाप्रसाद निवासी गली न-12 म0न0 2244 बी 25 फुटा रोड संजय कालौनी फरीदाबाद हरियाणा को ग्राम मथुरापुर गोलचक्कर बिरयानी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 50 पेटी जिसमे (40 पेटी देशी शराब मस्ताना हरियाणा मार्का कुल 1920 पव्वे व 08 पेटी अग्रेजी शराब कुल

384 पच्चे व 02 पेटी अग्रेजी(कुल 24 बोटल) हरियाणा मार्का अवैध शराब व हुडई वरना कार नं0 एचआर 87 डी 3921 बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दिलशाद पुत्र जान मौहम्मद निवासी म0न0 806 सी ब्लॉक संजय कालौनी फरीदाबाद हरियाणा गौतमबुद्धनगर
2. भरतपाल पुत्र स्व0 जमुनाप्रसाद निवासी गली न-12 म0न0 2244 बी 25 फुटा रोड संजय कालौनी फरीदाबाद हरियाणा

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 211/2021 धारा 60,63,72 आबकारी अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1.50 पेटी जिसमे (40 पेटी देशी शराब मस्ताना हरियाणा मार्का कुल 1920 पच्चे व 08 पेटी अग्रेजी शराब कुल 384 पच्चे व 02 पेटी अग्रेजी(कुल 24 बोटल) हरियाणा मार्का अवैध शराब
2. हुडई वरना कार नं0 एचआर 87 डी 3921



3- थाना कासना एवं इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा होटलों व गेस्ट हाउसों पर छापेमारी के दौरान देह व्यापार में लिप्त 04 महिलाओं सहित 06 युवक गिरफ्तार, कब्जे से आपत्तिजनक वस्तुएं व 15620 रूपये नकद बरामद।

दिनांक 14.04.2021 को थाना कासना पुलिस एवं थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा होटलों व गेस्ट हाउसों पर छापेमारी के दौरान प्रशान्त गेस्ट हाउस व प्रधान गेस्ट हाउस से देह व्यापार में लिप्त आपत्तिजनक हालात में 04 महिलाओं सहित 06 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें प्रशान्त गेस्ट

हाउस के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। होटलों के कमरों से आपत्तिजनक वस्तुएँ एवं 15620 रूपये नकद बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कासना पर मु0अ0सं0-109/2021 धारा 3/4/5/7(2)(A) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अभिषेक पुत्र स्व0 ईश्वर सिंह निवासी बागपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर (मैनेजर प्रशान्त गैस्ट हाउस)
2. परमेश उर्फ जानी पुत्र महकार निवासी मसौदा थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर
3. रोहित पुत्र हरिओम निवासी चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
4. शिवा पुत्र प्रताप निवासी नट की मढैया थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर
5. धीरज पुत्र मुकेश निवासी अस्तौली थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
6. अजय पुत्र रघुवीर निवासी वीलकोट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
7. 04 महिलाएँ

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 109/2021 धारा 3/4/5/7(2)(A) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956

बरामदगी का विवरण-

होटलों के कमरों से आपत्तिजनक वस्तुएँ एवं 15620 रूपये नकद

4- थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 01 मोबाइल लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 01 मोबाइल सैमसंग ए-30 व घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी न0 यूपी 16 सीडी 9093 बरामद।

दिनांक 14-04-2021 को थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. अनीश उर्फ अकील पुत्र स्व0 ईशाक खां निवासी गोरला थाना टप्पल जिला अलीगढ़ को सोमबाजार बारात घर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल सैमसंग ए-30 व घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी न0 यूपी 16 सीडी 9093 बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनीश उर्फ अकील पुत्र स्व0 ईशाक खां निवासी गोरला थाना टप्पल जिला अलीगढ़

आपरिधक इतिहास का विवरण-

- 1-मु0अ0स0 195/2021 धारा 392,411 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा
- 2-मु0अ0स0 490/2012 धारा 392,411 भादवि थाना सेक्टर24 नोएडा
- 3-मु0अ0स0 624/2012 धारा 392,411 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा
- 4-मु0अ0स0 921/2012 धारा 380,457,411 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा
- 5-मु0अ0स0 486/2012 धारा 392,411 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा
- 6-मु0अ0स0 808/2012 धारा 392,411 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा
- 7-मु0अ0स0 492/2012 धारा 392,411 भादवि थाना सेक्टर24 नोएडा

बरामदगी का विवरण-

1. 01 मोबाइल सैमसंग ए-30
2. एक स्कूटी न0 यूपी 16 सीडी 9093 घटना में प्रयुक्त



#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 14.04.2021 को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 2551 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 2,55,100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। 1631 वाहनों का चालान करते हुए कुल 70,500 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 06 वाहनों को सीज भी किया गया।

30 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 10 अभियोग पंजीकृत किये गये।